

सिटीजन/क्लाइंट चार्टर जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तरदायित्व केन्द्र:- नेशनल शेड्यूलड ट्राइब्स फाइनांस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन
नई दिल्ली

क. प्रस्तावना

एनएसटीएफडीसी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों या समूहों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए आय जनित गतिविधियों हेतु रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (यों), कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आरआरबी एवं एनसीडीसी, जिनका एनएसटीएफडीसी के साथ पुनः वित्त अनुबंध है के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उन पात्र अनुसूचित जनजातियों को दी जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ना हो।

ख. उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य

क. उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों का निरंतर आर्थिक विकास।

ख. उद्देश्य : एनएसटीएफडीसी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्थान है जो अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक -आर्थिक उत्थान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। एनएसटीएफडीसी का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार उत्पन्न हो और उनका आय स्तर बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत एवं कार्यावस्था दोनों प्रकार के प्रशिक्षण से अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया और उनके कौशल को उन्नत करना।
- वर्तमान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य विकासात्मक एजेंसियों को अधिक प्रभावशाली बनाना।
- राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों को परियोजना तैयार करने, एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने में सहायता करना।
- एनएसटीएफडीसी सहायता प्रदत्त योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना तथा उसके प्रभाव का आंकलन करना।

ग. गतिविधियां

- अनुसूचित जनजातियों के बीच एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना ।
- लाभार्थियों के साथ-साथ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के कार्मिकों की कुशलता विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना ।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से पात्र अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए व्यवहार्य आय जनित गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
- अनुसूचित जनजातियों के उत्पाद विपणन में सहायता ।

ख. मुख्य सेवाएं/लेनदेन:

क्र. सं.	मुख्य सेवाएं/लेनदेन		उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	फोन नं.	प्रक्रिया	जरूरी कागजात	शुल्क		
								वर्ग	माध्यम	राशि
1.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को मंजूरी एवं जारी वित्तीय सहायता	क. ख.	<p>श्री आर.जे.कच्छप महा प्रबं.प्रमुख (परि.,का.एवं सत.एवं सीपीआईओ)</p> <p>श्रीमती बिस्मिता दास मुख्य प्रबं.(परि.,सीएसआर व पेट) (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। ➤ उपरोक्त राज्यों के एनकेएफएल एवं पीएसयू बैंक</p>	<p>rajanstfdc@gmail.com</p> <p>bismitadas@gmail.com</p>	011-26177046 011-26177052	<p>मंजूरी: एनएसटीएफडीसी के मानदंडों को पूरा करने हेतु, परियोजना प्रस्ताव की संवीक्षा संवितरण: मंजूरी एवं संवितरण मानदंडों को पूरा करने हेतु शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन हेतु आग्रह पर कार्रवाई करना</p>	<p>मंजूरी: एनएसटीएफडीसी के मानदंडों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव संवितरण: चयनित आवेदकों की सूची के साथ निधि जारी करने हेतु आग्रह तथा एनएसटीएफडीसी मानदंड के अनुरूप पूर्व संवितरण संबंधी अतिदेय राशि एवं प्रयुक्त राशि का निपटान एवं गारंटी की उपलब्धता</p>	लागू नहीं है ।		
		ग.	<p>डॉ.ज्योति सिंघल मुख्य प्रबंधक(परि.एवं एमआईएस) (छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम,</p>	Jyoti_sin2003@yahoo.co.in	011-26177044					

			त्रिपुरा राज्यों के लिए) > उपरोक्त राज्यों के एनकेएफएल एवं पीएसयू बैंक > एनसीडीसी एवं ट्राइफेड > सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सभी राज्य)				
		घ.	श्री भाग्यराज पेरुमल मुख्य प्रबं. (परि.) गुजरात, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं दादरा और नगर हवेली एवं दीव के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) > उपरोक्त सभी राज्यों के एनकेएफएल एवं पीएसयू बैंक)	bagyaraj0613@gmail.com	011-26177044		

घ. सेवा मानक

क्र.सं.	मुख्य सेवाएं/लेनदेन	सेवा मानक	यूनिट	डाटा साधन
1.	अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ग्राहक को वित्तीय सहायता मंजूरी सभी प्रकार से पूर्ण-क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की शक्तियों के भीतर	क.30	दिन	एनएसटीएफडीसी का रिकार्ड
	ख. बोर्ड की शक्तियों के भीतर	ख.90	दिन	
2.	अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ग्राहक को वित्तीय सहायता का संवितरण सभी प्रकार से पूर्ण।	45	दिन	एनएसटीएफडीसी का रिकार्ड

ड. शिकायत निवारण प्रणाली

क्र.सं.	सार्वजनिक शिकायत अधिकारी का नाम	फोन नं.	ई-मेल	मोबाइल नम्बर
1.	श्री आर.जे.कच्छप महा प्रबं. प्रमुख (परि.,का.एवं सत. एवं सीपीआईओ)	011-26177046	rajanstfdc@gmail.com	09868553343
2.	श्रीमती बिस्मिता दास मुख्य प्रबं.(परि.,सीएसआर व पेट) (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए।	011-26177052	bismitadas@gmail.com	9953536179
3.	डॉ.ज्योति सिंघल मुख्य प्रबंधक(परि.एवं एमआईएस) (छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों के लिए)	011-26177044	Jyoti_sin2003@yahoo.co.in	9871378133
4.	श्री भाग्यराज पेरुमल मुख्य प्रबं. (परि.) गुजरात, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं दादरा एवं नगर हवेली और दीव के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)	011-26177044	bagyaraj0613@gmail.com	9543582162

छ. हितधारकों /ग्राहकों की सूची

क्र.सं.	हितधारक/ग्राहक
1.	राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (ब्यौरा- nstfdc.tribal.gov.in) पर उपलब्ध है) ।
2.	पीएसयू बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक।
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- असम ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, देना गुजरात ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक (झारखंड), ओडिशा ग्राम्य बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक (ओडिशा), मणिपुर ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, नागालैंड ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक (उत्तर प्रदेश), उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बंगिया विकास ग्रामीण बैंक (पश्चिम बंगाल), मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश), सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (गुजरात)), आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (आंध्र प्रदेश), केरल ग्रामीण बैंक (केरल), छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक।
4.	नेशनल को ओपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन(एनसीडीसी)
5.	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड
6.	स्त्री निधि ऋण सहकारी फेडरेशन लिमिटेड

ज. उत्तरदायी केन्द्रों एवं अधीनस्थ संगठनों की सूची- कोई नहीं

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालयों की सूची	फोन नं.
1.	नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरसीसी बिल्डिंग, प्रथम तल , (पुल के पास)हेंगराबडी रोड़, दिसपुर,गुवाहाटी-781 005(असम)	0361-2232724
2.	श्री वी.जी.घुटके उप आंचलिक महा प्रबंधक, नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भूतल, ब्लॉक -बी,एमपीएवीबीएन बिल्डिंग,राजीव गांधी भवन परिसर-2, 35-श्यामला हिल्स, भोपाल-462 002, (मध्य प्रदेश)	0755-2660456

3.	श्रीमती कृष्णा वेनी मोथा आंचलिक प्रबंधक नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, चौथा तल, तेलुगु समक्षेमा भवन, मासब टैंक, हैदराबाद-500 028(आंध्र प्रदेश)	040-23396088
4.	श्री सुनील कुमार साहू आंचलिक प्रबंधक नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, प्लॉट नं.396, प्रथम तल, गैराज चाक, राजारानी नगर,ओलड टाउन, भुवनेश्वर-751 002(उड़ीसा)	0674-2342132

झ. सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक उम्मीदें ।

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक उम्मीदें ।
1.	इन एजेंसियों से एनएसटीएफडीसी की मार्गदर्शिकाओं से परिचित होने तथा एनएसटीएफडीसी के मानकों को पूरा करते हुए सभी तरह से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव तैयार/जमा करने की आशा की जाती है । (उधार मानदंड एवं अन्य अपेक्षित प्रपत्र एनएसटीएफडीसी की वेबसाइट nstfdc.tribal.gov.in पर उपलब्ध है ।
2.	एजेंसियों को परियोजना प्रस्तावों के आंकलन/विश्लेषण हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है ।